न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमति निशा सहारण (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 267 / 2020

1. उमराव सिंह पुत्र श्री सुगन सिंह, आयु 71 वर्ष, जाति राजपुरोहित निवासी ग्राम कुचील तहसील किशनगढ, हाल बी–7 राजहंसं कॉलोनी, मदनगंज–किशनगढ़, जिला अजमेर
2. अशोक सिंह पुत्र श्री रूप सिंह, आयु 46 वर्ष, जाति राजपुरोहित, निवासी कुचील तहसील किशनगढ, हाल निवासी डी–72, रघुवीर नगर, शिकारगढ, जोधपुर।
3. सर्वेश्वर सिंह पुत्र श्री भीम सिंह, आयु 38 वर्ष, जाति राजपुरोहित,
4. पन्ने सिंह पुत्र श्री भीम सिंह, आयु 36 वर्ष जाति राजपुरोहित
5. गुमान सिंह पुत्र श्री भीम सिंह, आयु 32 वर्ष जाति राजपुरोहित निवासीगण ग्राम कुचील तहसील किशनगढ, जिला अजमेर
6. चम्पा पुत्री श्री भीम सिंह पत्नी श्री घनश्याम सिंह, आयु 34 वर्ष, जाति राजपुरोहित निवासी कुचील, तहसील किशनगढ हाल निवासी मु०पोस्ट खरिया खंगार, वाया गोठन, तहसील मेडता, जिला नागौर

प्रार्थीगण

बनाम

1. चन्दा पुत्र श्री लालू, आयु 75 वर्ष, जाति जाट
2. छोटू पुत्र श्री लालू, आयु 55 वर्ष, जाति जाट,
3. रामा पुत्र श्री लालू आयु 60 वर्ष, जाति जाट,
4. कालू पुत्र श्री लालू, आयु 58 वर्ष, जाति जाट
5. रामनिवास पुत्र श्री लालू, आयु 56 वर्ष, जाति जाट
6. श्रीमती नाथी देवी पत्नी श्री बलवीर, आयु 38 वर्ष, जाति जाट
7. श्रीमती सुरज्ञान पत्नी श्री श्योराज, आयु 35 वर्ष, जाति जाट,
8. श्रीमती सन्जू देवी पत्नी श्री कानाराम, आयु 38 वर्ष, जाति जाट
9. श्रीमती तीजी पत्नी श्री हेमाराम, आयु 45 वर्ष, जाति जाट सर्व निवासीगण गांव बांसडा मेहरान, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर
10. हरिराम पुत्र श्री भंवर लाल, आयु 58 वर्ष, जाति जाट
11. विश्राम पुत्र श्री भंवर लाल, आयु 55 वर्ष, जाति जाट
12. बोदू पुत्र श्री सुखदेव, आयु 70 वर्ष, जाति जाट
13. श्योजी पुत्र श्री सुखदेव, आयु 78 वर्ष, जाति जाट सर्व निवासीगण गांव बांसडा मेहरान, पोस्ट, कुचील, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर
14. सत्यनारायण पुत्र श्री शंकरदास बैरागी, आयु 60 वर्ष, जाति बैरागी
15. रामेश्वरी पुत्री श्री परमेश्वर, आयु 48 वर्ष, जाति जाट,
16. श्रीमती छोटी देवी पत्नी श्री सौदान, 57 वर्ष, जाति जाट,
    सर्व निवासीगण ग्राम बांसडा मेहरान, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर
17. भंवरी देवी पत्नी श्री रूप सिंह, आयु 70 वर्ष, जाति राजपुरोहित की हाल निवासी डी–72 वर्ष, रघुवीर नगर, शिकारगढ, जोधपुर
18. मनोहर सिंह पुत्र श्री रूप सिंह, आयु 40 वर्ष, जाति राजपुरोहित निवासी द्वारा भंवर सिंह राजपुरोहित, डोर नं.– 74 द्वितीय फ्लोर, अक्कीपेठ, मैन रोड, बैंगलौर
19. दिनेश सिंह पुत्र श्री रूप सिंह, आयु 34 वर्ष जाति राजपुरोहित निवासी द्वारा भंवर सिंह राजपुरोहित, डोर नं.– 74 द्वितीय फ्लोर, अक्कीपेठ, मैन रोड, बैंगलौर
20. भंवर कंवर पुत्री श्री रूप सिंह, पत्नी श्री नारायण सिह आयु 62 वर्ष जाति राजपुरोहित, हाल निवासी भगवती ऑटो मोबाईल्स पेट्रोल पम्प के सामने, रेवदर, जिला सिरोही,
21. सुशीला देवी पुत्री श्री रूप सिंह पत्नी श्री भगंवान सिंह, आयु 60 वर्ष, जाति राजपुरोहित निवासी मकान नं.–6 शिव सदन, शिवा कॉलोनी, देलवाडा रोड, ब्यावर

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

जिला अजमेर

22. चन्द्रकान्ता पुत्री श्री रूप सिंह, पत्नी श्री सवाई सिंह, आयु 49 वर्ष, जाति राजपुरोहित निवासी द्वारा भंवर सिंह राजपुरोहित, डोर नं.– 74 द्वितीय फ्लोर, अक्कीपेठ, मैन रोड, बैंगलौर
23. श्रीमती सन्तोष कंवर पुत्री श्री रूप सिंह पत्नी श्री भंवर सिंह, – आयु 44 वर्ष, जाति राजपुरोहित, निवासी द्वारा भंवर सिंह राजपुरोहित, डोर नं.– 74 द्वितीय फ्लोर, अक्कीपेठ, मैन रोड, बैंगलौर
24. श्रीमती लक्ष्मी कंवर पत्नी श्री श्रवण सिह, आयु 37 वर्ष, जाति ६८ राजपुरोहित, निवासी द्वारा भंवर सिंह राजपुरोहित, डोर नं.– 74 द्वितीय फ्लोर, अक्कीपेठ, मैन रोड, बैंगलौर
25. श्रीमती रतनी देवी पत्नी श्री रघुनाथ, आयु 48 वर्ष, जाति जाट
26. मंजू देवी पत्नी श्री मदन लाल, आयु 45 वर्ष, जाति जाट सर्व निवासीगण ग्राम मंगरी, पोस्ट अरडका, तहसील व जिला अजमेर
27. प्रेम देवी पत्नी श्री श्योजी, आयु 70 वर्ष जाति जाट
28. सरजू देवी पत्नी श्री बोदू, आयु 65 वर्ष, जाति जाट

सर्व निवासीगण ग्राम मगरी पोस्ट अरडका, तहसील व जिला अजमेर

29. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार महोदय, किशनगढ
30. बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक, शाखा कुचील तहसील किशनगढ, जिला अजमेर
31 आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, शाखा सलेमाबाद तहसील रूपनगढ, जिला अजमेर
32. आई.डी.बी. आई. बैंक, शाखा किशनगढ, जिला अजमेर

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 20/01/2025

उपस्थितः वकील प्रार्थी श्री हनुमान प्रसाद शर्मा
वकील अप्रार्थी श्री रामदेव गुर्जर

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री हनुमान प्रसाद शर्मा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जो बाद जांच रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तलबी की गई। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या–17 से 28 के संयुक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की कृषि भूमि खसरा नं.–602 रकबा 78 बीघा 07 बिस्वा किस्म बारानी दोयम ग्राम कुचील पटवार हल्का कुचील, तहसील किशनगढ जिला अजमेर में स्थित है। प्रार्थीगण के संयुक्त कब्जेकाश्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नं.–602 के पूर्व दिशा में अप्रार्थी संख्या–14 लगायत 16 की भूमि ग्राम कुचील के खसरा नं.–604 (604, 604/1,604/2, 604/3) स्थित है तथा ग्राम बांसडा मेहरान की अप्रार्थी संख्या 10 लगायत 13 की भूमि खसरा नं. –600/3 स्थित है। प्रार्थीगण की भूमि खसरा नं.–602 में आने–जाने के लिये रास्ता प्रार्थीगण की भूमि के पूर्व दिशा में ग्राम कुचील के अप्रार्थी संख्या–14 लगायत 16 की भूमि खसरा नं.–604 व प्रार्थी संख्या 3 लगायत 6 की भूमि खसरा नं.–606 के उत्तरी दिशा तथा ग्राम बांसडा मेहरान की अप्रार्थी संख्या– 10 लगायत 13 की भूमि खसरा नं.–600/3 व ग्राम बांसडा मेहरान की अप्रार्थी संख्या– 1 लगायत 9 की भूमि खसरा नं.– 600/4 के दक्षिण दिशा में इन खसरा नम्बरान के मध्य की सींव पर रास्ता सींव सींव होता हुआ आगे ग्राम बांसडा मेहरान के रिकार्डेड रास्ता खसरा नं.– 599 में जाकर मिलता हैं। प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नं.–602 के चारों दिशाओं में निजी खातेदारों की कृषि भूमि स्थित है, प्रार्थीगण की भूमि खसरा नं.–602 में पहुंचने के लिए प्रार्थीगण के पास पैरा संख्या–2 में वर्णित व नक्शे में लाल रंग से दर्शित ए, बी, सी, डी, रास्ता ग्राम बांसडा मेहरान के रिकार्डेड रास्ता खसरा नं.–599 में जाकर मिलता है। प्रार्थीगण इसी रास्ते से अर्से दराज से गाडी, ट्रेक्टर ट्रोली, कृषि यन्त्र, चारा उपज आदि अपने खेत में लाते ले जाते है। प्रार्थीगण के पास इसके अलावा अन्य कोई रास्ता

उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण के पास यही एक मात्र लघुतम व निकटतम रास्ता है जो प्रार्थीगण के खेत खसरा नं–602 से शुरू होकर अप्रार्थी संख्या–1 लगायत 16 के खेतों के मध्य की सींव–सींव होता हुआ ग्राम बांसडा मेहरान के रिकार्डेड रास्ते खसरा नं.–599 तक जाता है। उपरोक्त रास्ते की चौडाई काश्त करने के लिए वर्तमान मशीनरी युग में काश्त हेतु मशीनी उपकरण लाने–ले जाने के लिए कृषि उपज लाने ले जाने के लिए कम से कम 30 फीट रास्ता होना आवश्यक व जरूरी है। इस रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के पास अपनी भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों तरफ निजी खातेदारों की भूमियां स्थित है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 व 3 में वर्णित रास्ते को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शे में लाल रंग से मार्क ए. बी. सी.डी. से दर्शाया गया है। नक्शा प्रार्थना पत्र का एक अंग है। अप्रार्थी संख्या 1 से 16 आये दिन प्रार्थीगण के रास्ते के आवागमन में बाधा उत्पन्न करते रहते है। अप्रार्थी संख्या– 1 से 16 व उसके परिवारजन ने दिनांक 06.09.2020 को प्रार्थीगण को रास्ते से आने–जाने में बाधा उत्पन्न करते हुए प्रार्थीगण को धमकी दी कि वह अब रास्ता हमेशा के लिये बन्द करके प्रार्थीगण का आवागमन हमेशा के लिये बन्द करके रहेंगे। अप्रार्थी संख्या 1 से 16 को प्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नं. 602 तक पहुंचने वाले रास्ते को बन्द करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थीगण की यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में कोई दुर्भावना नहीं है। कानूनन प्रत्येक काश्तकार को अपनी कृषि भूमि तक पहुंचने के लिए रास्ता होना आवश्यक माना गया है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 से 16 से मौखिक रूप से निवेदन किया कि पैरा संख्या–2 व 3 में वर्णित व नक्शे में दर्शित रास्ते को सहमति से करार द्वारा कायम कर लिया जावे। किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 से 16 ने कतई इन्कार कर दिया। इस कारण यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। गांवों में प्रचलित प्रथा अनुसार काश्तकार अपने खेतों तक पहुंचने के लिए खेतों की सींव मेड पर से आते–जाते है। यह प्रथा प्राचीनकाल से चली आ रही है। प्रार्थीगण पैरा संख्या–2 व 3 में वर्णित रास्ते से ही अपनी कृषि भूमि खसरा नं.– 602 तक आते जाते रहे हैं।राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के तहत किसी भी काश्तकार को अपनी भूमि पर आने–जाने के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में भी पडौसी काश्तकारों से रास्ते की मांग कर रास्ता कायम करवा सकता है। प्रार्थीगण को विधि द्वारा रास्ते का अधिकार प्रदत्त किया गया है। इस कारण प्रार्थीगण को रास्ता प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि खसरा नं.– 602 में पहुंच के लिए प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 व 3 में वर्णित व नक्शे में लाल रंग से तथा ए, बी, सी, डी मार्क से दर्शित रास्ता ही एक मात्र लघुतम निकटतम, सुविधाजनक रास्ता है। इसके अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त रास्ता राजस्व नक्शे में डोटेड लाईन से दर्ज है किन्तु पुख्ता रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने व नक्शे में पुख्ता तरमीम नहीं होने से प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 16 के मध्य विवाद होता रहता है। इस कारण रास्ता कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में इसका इन्द्राज किया जाना व राजस्व नक्शे में तरमीम किया जाना आवश्यक है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का कोई वाद विवाद उत्पन्न नहीं हो। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या–2 व 3 मे वर्णित व नजरी नक्शे में लाल रंग व ए.बी, सी, डी, मार्क से दर्शित रास्ते को कायम किये जाने बाबत माननीय न्यायालय जिस प्रकार भी आदेश पारित करना उचित समझती है, उक्त आदेश की पालना हेतु प्रार्थीगण तत्पर व तैयार है। प्रार्थीगण रास्ते के रूप में प्रयुक्त होने वाली भूमि की डी.एल.सी. दर अनुसार राशि अदा करने में सहमत है। दिनांक 08.09.2020 को अप्रार्थी संख्या– 1 लगायत 16 द्वारा प्रार्थीगण के रास्ते के उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न करने पर तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 16 द्वारा आपसी सहमति से रास्ता कायम करवाने से मना करने पर यह वाद कारण ग्राम कुचील व बांसडा मेहरान, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर राजस्थान में उत्पन्न हुआ जो दिन प्रतिदिन जारी है। प्रार्थी संख्या 17 लगायत 28 प्रार्थीगण की भूमि के सहखातेदार है। उनके द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुति में प्रार्थीगण के साथ संयोजित होने में उदासीनता बरतने के कारण पक्षकार अप्रार्थी बनाया गया है, उनके विरूद्ध किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा गया है। अप्रार्थी संख्या 30 से 32 के विरूद्ध किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा है। अप्रार्थी संख्या–30 से 32 बैंक के यहां भूमि रहन होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। अप्रार्थी संख्या–29 को भूमिधारी होने से पक्षकार बनाया गया है। श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या–2 व 3 में वर्णित एवं संलग्न नक्शे में दर्शित लाल रंग के ए, बी, सी, डी, 30 फीट चौडे रास्ते को कायम कर प्रार्थीगण की ग्राम कुचील में स्थित भूमि खसरा नं.– 602 में आने–जाने का रास्ता

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

कायम किया जाकर राजस्व नक्शे में तरमीम किये जाने तथा रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करावें तथा उक्त रास्ता प्रार्थीगण की भूमि तक पहुंच के लिए कायम होने के आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थना **पत्र** को दिनांक 09.12.2020 को दर्ज रजिस्टर क्रमांक 267/2020 पर दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगणों की तलबी करवाई गई। दिनांक 11.12.2021 को 02, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 30 बावजूद तामिली के अनुपस्थित रहे जिसके कारण उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई। दिनांक 31.08.2021 को अप्रार्थी संख्या 17 से 24 के अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश नहीं कर जवाब बन्द करने का निवेदन किया तथा अप्रार्थी संख्या 32 बावजूद तामिली के अनुपस्थित रहे जिसके कारण अप्रार्थी संख्या 17 से 24, 32 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई।

दिनांक 28.12.2021 को वकील अप्रार्थी संख्या 01, 03 से 09, 11 से 13 एवं 27 व 28 की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 01 चन्दा, 03 रामा, 04 कालू, 05 रामनिवास, 06 श्रीमती नाथी देवी, 07 श्रीमती सुरज्ञान, 08 श्रीमती सन्जू देवी, 09 श्रीमती तीजी देवी, 11 विश्राम, 12 बोदू, 13 श्योजी, 27 प्रेम देवी, 28 सरजू देवी की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रास्ता ग्राम कुचील तहसील किशनगढ़ के आराजी खसरा नम्बर 602 में जाने बाबत् निवेदन किया है जिसमें सभी खातेदारों द्वारा रास्ता नहीं चाहा गया है। अन्य सहखातेदारों को अप्रार्थी के रूप में पक्षकार कायम किया गया है इसका तातर्प्य यह है कि खसरा नम्बर 602 में आने जाने के लिये वैकल्पिक तीन रास्ते उपलब्ध है जो नजरी नक्शे से स्पष्ट होते है चाहा गया रास्ते में ग्राम कुचिल व ग्राम बांसडा मेहरान की सीमा पर स्थित है इस कारण दोनो गांवों के नक्शो का मिलान करने पर तीन वैकल्पिक रास्ते मौके पर उपलब्ध है। चूंकि खसरा नम्बर 602 के सभी काश्तकार/खातेदार ग्राम कुचिल से छोटा बेरा जाने वाली रोड़ के खसरा नम्बर 615 किस्म गै०मु०रास्ता से होते हुये गै०मु० रास्ता खसरा नम्बर **613/8** से होते हुये पूरे खसरा नम्बर **613/2** से अपनी खातेदारी आराजी खसरा नम्बर **602** में जाते है। जो प्रार्थीगण व सहखातेदार के सबसे समीप, सुलभ रास्ता है। प्रार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर **602** के लिये रास्ता चाहा गया है मुख जिसमें प्रार्थी संख्या **4** लगायत **6** की सहखातेदारी की आराजी ग्राम कुचिल के खसरा नम्बर **606** है जो स्वयं की खातेदारी भूमि है जो खसरा नम्बर **599** व **570** रिकार्डेड रास्ता से लगती हुई है एवं उपरोक्त खसरा नम्बर **606** से लगता हुआ आराजी खसरा नम्बर **604** जो **17** फिट का रास्ता है जो खसरा नम्बर **602** से लगती हुई इस प्रकार प्रार्थीगण को रास्ते की आवश्यकता ही नहीं है चूंकि खसरा नम्बर **599** व **570** जो रिकार्डेड रास्ता है उसके लगते हुये प्रार्थीगण आते–जाते है जो खसरा नम्बर **606** से खसरा नम्बर **604** जो रास्ता है जो खसरा नम्बर **602** तक जाता है इस प्रकार प्रार्थीगण को रास्ते की आवश्यकता ही नहीं है। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा केवल मात्र हैरान व परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी भीम सिंह पुत्र इन्द्रसिंह द्वारा अप्रार्थी संख्या **27** व **28** के पक्ष में उपरोक्त खसरा नम्बर **602** में से **6** बीघा भूमि का दिनांक **30-07-2012** को विक्रय पत्र निष्पादित करवाया गया था एवं मौके पर खसरा नम्बर **604** के लगते हुये कब्जा सुपुर्द करवाया गया है अर्थात खसरा नम्बर **602** की पूर्व दिशा की ओर कब्जा सुपुर्द करवाया गया था जो मौके पर इसी अनुसार काबिज काश्त है परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अवैधानिक कृत्य करके अप्रार्थी / जवाबकर्तागण को हैरान व परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो प्रथम दृष्ट्या ही खारीज होने योग्य है एवं खातेदार / अप्रार्थी संख्या **10** की मृत्यु हो चुकी है।प्रार्थीगण के पास सबसे सुलभत, निकटतम रास्ता ग्राम कुचिल के खसरा नम्बर **615** किस्म गै०मु०रास्ता से होते हुये खसरा नम्बर **613/8** गै० मु० सस्ता जो खसरा नम्बर **613/3, 613/4** तक पहुंचता है एवं उसके पास में ही प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर **602** है जो प्रार्थीगण वहां से रास्ता नहीं चाहते हुये अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने की नियत से रास्ता चाह रहे है जबकी यह रास्ता प्रार्थीगण के सबसे सरल, सुलभ, निकट रास्ता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम **1955** की धारा **251** (क) में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि सबसे सरलत, निकटतम, सुविधा जनक रास्ता देने का प्रावधान किया गया है रास्ते की आड़ में किया जनक रास्ता परेशान करने के लिये इस धारा का हथियार के रूप में प्रयोग

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

नहीं करना चाहिए। जो प्रार्थीगण की आराजी के समीप खसरा नम्बर **613/3, 613/4** तक गै०मु०रास्ता खसरा नम्बर **613/8** आ रहा है और यही से प्रार्थीगण व अन्य सहखातेदार अपनी आराजी तक आ जा रहे है। जिससे आवागमन सुलभ रूप से हो रहा है इस प्रकार जवाबकर्ती/अप्रार्थी संख्या **27** व **28** की खसरा नम्बर **602** में से प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी भीम सिंह से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद की गयी है जो खसरा नम्बर **602** की पूर्वी दिशा की ओर खसरा नम्बर **604** के समीप कब्जा सुपुर्द किया गया है केवल मात्र प्रार्थीगण, जवाबकर्तागण को हैरान व परेशान करने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जो कतई उचित नहीं है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि "कोई भी काश्तकार सुलभ मार्ग के आधार पर नये रास्ते का दावा नहीं कर सकता है"। "वैकल्पिक मार्ग का अभाव, मार्ग की अत्यन्त आवश्यकता एवं विशेषतः नये मार्ग के मामले में अन्य खातेदार की जोत में से आवागमन हेतु सुविधाजनक उपयोग का अभाव सिद्ध होना आवश्यक है वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होने पर सुविधाजनक उपयोग हेतु किसी अन्य खातेदार की भूमि में से रास्ता दिया जाना विधि सम्मत नहीं है। धारा **251** (क) में नया रास्ता कायम करने के लिये सबसे महत्वपूर्ण बिन्दू यह है कि खातेदारी में पहुंचने के लिये कहीं कोई रास्ता उपलबध न होना। धारा **251** (क) सुविधाजनक रास्ता कायम करने का प्रावधान नहीं करती है और जब किसी काश्तकार के पास अन्य रास्ता मौजूद है तो वह इस धारा के अन्तर्गत सुविधाजनक रास्ते के नाम पर नये रास्ते की कायम की मांग नहीं कर सकता है। इस प्रकार प्रार्थीगण के पास ग्राम कुचिल के खसरा नम्बर **615** किस्म गै०मु०रास्ता से होते हुये खसरा नम्बर **613/8** गै० मु०रास्ता जो खसरा नम्बर **613/3, 613/4** तक पहुंचता है उक्त रास्ते से होते हुये प्रार्थीगण अपनी आराजी में आते–जाते है उपरोक्त रास्ता होते हुये गर्मी भवावकर्तागण को हैरान व परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो प्रथम दृष्टया ही खारीज होने योग्य है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या **2** के कथनों का जवाब इस प्रकार से है कि खसरा नम्बर **602** के पूर्वी दिशा की ओर खसरा नम्बर **604, 604/1 , 604/2, 604/3, 604/4** की तरफ अप्रार्थी/जवाबकर्ता संख्या **27** व **28** का कब्जा काश्त है एवं प्रार्थीगण द्वारा अपनी आराजी में आने–जाने के लिये ग्राम कुचिल के खसरा नम्बर **615** किस्म गै०मु०रास्ता से होते हुये खसरा नम्बर **613/8** गै०मु०रास्ता जो खसरा नम्बर **613/3, 613/4** तक पहुंचता है उक्त रास्ते से होते हुये प्रार्थीगण अपनी आराजी में आते–जाते है एवं प्रार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर **602** के लिये रास्ता चाहा गया है जिसमें प्रार्थी संख्या **4** लगायत **6** की सहखातेदारी की आराजी ग्राम कुचिल के खसरा नम्बर **606** है जो स्वयं की खातेदारी भूमि है जो खसरा नम्बर **599** व **570** रिकार्डेड रास्ता से लगती हुई है एवं उपरोक्त खसरा नम्बर **606** से लगता हुआ आराजी खसरा नम्बर **604** है जो खसरा नम्बर **602** से लगती हुई इस प्रकार प्रार्थीगण को रास्ते की आवश्यकता ही नहीं है चूंकि खसरा नम्बर **599** व **570** जो रिकार्डेड रास्ता है उसके लगते हुये प्रार्थीगण आते–जाते है जो खसरा नम्बर **606** से खसरा नम्बर **604** जो रास्ता है जो खसरा नम्बर **602** तक जाता है इस प्रकार प्रार्थीगण को रास्ते की आवश्यकता ही नहीं है, शेष कथन गलत है अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र पैरा संख्या **3** के कथन गलत है अस्वीकार है जवाब इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता सरलतम, सुलभतम, सुविधा जनक रास्ता नहीं है चूंकि प्रार्थीगण के पास ग्राम कुचिल के खसरा नम्बर **615** किस्म गै०मु०रास्ता से होते हुये खसरा नम्बर **613/8** की गै०मु०रास्ता जो खसरा नम्बर **613/3, 613/4** तक पहुंचता है उक्त रस्ते से होते हुये प्रार्थीगण अपनी आराजी में आते–जाते है। उपरोक्त रास्ता ही सबसे सरलतम, सुलभतम, सुविधा जनक रास्ता है चुंकि प्रार्थीगण इसी रास्ते से आते–जाते है प्रार्थीगण द्वारा केवल मात्र हैरान व परेशान करने की नियत से प्रस्तुत किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम **1955** की धारा **251** (क) में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि सबसे सरलतम, निकटतम रास्ता देने का प्रावधान किया गया है रास्ते की आड में किसी खातेदार को परेशान करने के लिये इस धारा का हथियार के रूप में प्रयोग नही करना चाहिए। पैरा संख्या **5** के कथन गलत है अस्वीकार है प्रार्थीगण व अन्य सहखातेदार द्वारा ग्राम कुचिल के खसरा नम्बर **615** किस्म गै०मु०रास्ता से होते हुये खसरा नम्बर **613/8** गै०मु०रास्ता जो खसरा नम्बर **613/3, 613/4** तक पहुंचता है उक्त रस्ते से होते हुये प्रार्थीगण अपनी आराजी में आते–जाते है एवं प्रार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर **602** के लिये रास्ता चाहा गया है जिसमें प्रार्थी संख्या **4** लगायत **6** की सहखातेदारी की आराजी ग्राम कुचिल के खसरा

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

नम्बर 606 है जो स्वयं की खातेदारी भूमि है जो खसरा नम्बर 599 व 570 रिकार्डेड रास्ता से लगती हुई है एवं उपरोक्त खसरा नम्बर 606 से लगता हुआ आराजी खसरा नम्बर 604 है जो खसरा नम्बर 602 से लगती हुई इस प्रकार प्रार्थीगण को रास्ते की आवश्यकता ही नहीं है चूंकि खसरा नम्बर 599 व 570 जो रिकार्डेड रास्ता है उसके लगते हुये प्रार्थीगण आते–जाते है जो खसरा नम्बर 606 से खसरा नम्बर 604 जो रास्ता है जो खसरा नम्बर 602 तक जाता है इस प्रकार प्रार्थीगण को रास्ते की आवश्यकता ही नहीं है। तो दिनांक 06-09-2020 को रास्ता बन्द करने का प्रशन ही उत्पन्न नहीं होता है। प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष वास्तविक तथ्य को छिपाते हुये झुठे कथन अंकित करके प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो प्रथम दृष्ट्या ही खारीज होने योग्य है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 6 के कथन गलत है अस्वीकार है माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान द्वारा DNJ 2017 (Rev.) girdavari jat VS sultan ram में प्रतिपादित किया गया है कि सुविधाजनक मार्ग प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है और किरायेदार सुविधाजनक मार्ग के आधार पर नए रास्ते का दावा नहीं कर सकता है। इस प्रकार ग्राम कुचिल के खसरा नम्बर 615 किस्म गै०मु०रास्ता से होते हुये खसरा नम्बर 613/8 गै०मु०रास्ता जो खसरा नम्बर 613/3, 613/4 तक पहुंचता है उक्त रस्ते से होते हये प्रार्थीगण अपनी आराजी में आते–जाते है जो वैकल्पिक रास्ता होते हुये भी गलत तथ्य अंकित करके प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जो प्रथम दृष्ट्या ही निरस्तनीय है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 7 के कथन गलत है अस्वीकार है। विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि "वैकल्पिक मार्ग का अभाव, मार्ग की कालीन अत्यन्त आवश्यकता एवं विशेषतः नये मार्ग के मामले में अन्य खातेदार की जोत में से आवागमन हेतु सुविधाजनक उपयोग का अभाव सिद्ध होना आवश्यक है वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होने पर सुविधाजनक उपयोग हेतु अन्य किसी खातेदार की भूमि में से रास्ता दिया जाना विधि सम्मत नहीं है। धारा 251 ए में नया रास्ता कायम करने के लिये सबसे महत्वपूर्ण बिन्दू यह है कि खातेदारी में पहुंचने के लिये कहीं कोई रास्ता उपलबध न होना। धारा 251 ए सुविधाजनक रास्ता कायम करने का प्रावधान नहीं करती है और जब किसी काश्तकार के पास अन्य रास्ता मौजूद है तो वह इस धारा के अन्तर्गत सुविधाजनक रास्ते के नाम पर नये रास्ते की कायम की मांग नहीं कर सकता है। इस प्रकार प्रार्थीगण के पास ग्राम कुचिल के खसरा नम्बर 615 किस्म गै०मु०रास्ता से होते हुये खसरा नम्बर 613/8 गै०मु०रास्ता जो खसरा नम्बर 613/3, 613/4 तक पहुंचता है उक्त रस्ते से होते हुये प्रार्थीगण अपनी आराजी में आते–जाते है उपरोक्त रास्ता होते हुये भी जवाबकर्तागण को हैरान व परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो प्रथम दृष्टया ही खारीज होने योग्य है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 8 के गलत है अस्वीकार है कथनो का जवाब इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा धारा 251 क के प्रावधानों / नियमों के विपरित जाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है प्रार्थीगण द्वारा वैकल्पिक मार्ग होते हुये भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो अवैधानिक रूप से केवल मात्र जवाबकर्तागण को हैरान व परेशान करने की नियत से किया गया है शेष सहखातेदारों द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया चुंकि सहखातेदारों को मांगे गये रास्ते की आवश्यकता नहीं है चुकि उपरोक्त वर्णितानुसार ग्राम कुचिल के खसरा नम्बर 615 व 613/8 गै०मु०रास्ते से अपनी आराजी में आते–जाते है। शेष कथन गलत है अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 9 के कथन गलत है अस्वीकार है माननीय न्यायालय द्वारा धारा 251 क के प्रावधानों अनुसार उपरोक्त प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने योग्य है। चूंकि प्रार्थीगण के पास वैकल्पिक मार्ग होते हुये भी जवाबकर्तागण को हैरान व परेशान करने की नियत से किया गया है। जो प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने योग्य है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे खारीज फरमाया जावें।

दिनांक 03.08.2022 को प्रार्थना पत्र में तहसीलदार किशनगढ की मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें उनके द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी की आराजी ग्राम कुचिल तहसील किशनगढ स्थित भूमि खसरा संख्या 602 में कृषि कार्य हेतु आवागमन हेतु कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है, प्रार्थी को अपनी खातेदारी में आवागमन के लिये खसरा संख्या 604 में से 0.0420 हैक्टेयर, खसरा संख्या 606 में से 0.0270 हैक्टेयर, खसरा संख्या 600/3 में से 0.0270 हैक्टेयर, खसरा संख्या 600/4 में से 0.0420 हैक्टेयर कुल 0.1380 हैक्टेयर के अनुसार रास्ता दिया जा सकता है जिसके लिये प्रस्तावित रकबा 0.1380 हैक्टेयर है तथा वर्तमान डी.एल.सी. दर 8,08480 रूपये प्रति हैक्टेयर के अनुसार।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

दुगुनी निर्वापित राशि 2,23,141/– अक्षरे दो लाख तैईस हजार एक सौ एकतालीस रूपये मात्र बनती है। प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई भी निकटतम रास्ता उपलब्ध नहीं है।

दिनांक 13.01.2025 को हमारे द्वारा आपत्ति प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई एवं आपत्ति प्रार्थना पत्र को सारहीन होने से खारिज किया गया। दिनांक 13.01.2025 को हमारे द्वारा मूल प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई जिसमें वकील उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया गया। तहसीलदार किशनगढ की मौका रिपोर्ट मय जवाब के अवलोकन से ताईद है कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजी ग्राम कुचिल स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 602 में वर्तमान में कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है, प्रार्थी को अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 602 में आवागमन हेतु रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है। खसरा नम्बर 602 में आवागमन के लिये खसरा नम्बर 604, 606, 600/3, 600/4 में से ही रास्ता निकटतम व लघुत्तम है। ग्राम कुचिल स्थित खसरा संख्या 604 में से रकबा 0.0420 हैक्टेयर, खसरा संख्या 606 में से 0.0270 हैक्टेयर, खसरा संख्या 600/3 में से 0.0270 हैक्टेयर, खसरा संख्या 600/4 में से 0.0420 हैक्टेयर स्वीकृत किये जाने की स्थिती में प्रार्थी को अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 602 में आवागमन हेतु पहुंच मार्ग उपलब्ध हो जायेगा जो कि धारा 251(क) राज. का.अधि. के तहत प्रार्थी का विधिक अधिकार है। प्रार्थीगणो को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है। अतः तहसीलदार किशनगढ की अनुशंषा एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना विधिपूर्ण है।

आदेश

प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण संख्या 14 से 16 की भूमि खसरा संख्या 604 में से रकबा 0.0420 हैक्टेयर, अप्रार्थीगण संख्या 03 से 06 की भूमि खसरा संख्या 606 में से 0.0270 हैक्टेयर, अप्रार्थीगण संख्या 10 से 13 की भूमि खसरा संख्या 600/3 में से 0.0270 हैक्टेयर, अप्रार्थीगण संख्या 01 से 09 की भूमि खसरा संख्या 600/4 में से 0.0420 हैक्टेयर में से प्रस्तावित रास्ते हेतु अधिग्रहित रकबा 00.1380 हैक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जाकर वादअधीन भूमि की प्रचलित वर्तमान डी.एल.सी. दर 8,08480 रूपये प्रति हैक्टेयर के अनुसार दुगुनी निर्वापित राशि 2,23,141/– अक्षरे दो लाख तैईस हजार एक सौ एकतालीस रूपये मात्र , जो प्रार्थी द्वारा, 88 राजस्व मण्डल 8443 सिविल डिपोजीट के मद 8443–00–103–00–00 प्रतिभूति जमा की जायेगी। प्रार्थी को अधिग्रहित भूमि रकबा 0.1380 हैक्टेयर भूमि का मुआवजा राशि 2,23,141/– अक्षरे दो लाख तैईस हजार एक सौ एकतालीस रूपये मात्र तहसीलदार किशनगढ़ के माध्यम से राजकोष में जमा कराने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार किशनगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त मुआवजा राशि राजकोष में जमा होने के पश्चात् उनकी रिपोर्ट क्रमांक/2022/3892 दिनांक 14.07.2022 के साथ संलग्न मौका पर्चा अनुसार रास्ता कायम कर राजस्व रिकार्ड में रकबा 0.1380 हैक्टैयर भूमि रास्ता सिवायचक दर्ज कर राजस्व नक्शे में तरमीम करें तथा प्रार्थी द्वारा राजकोष में जमा राशि को अप्रार्थीगण संख्या 01 से 16 को नियमानुसार वितरित करने की कार्यवाही करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 20/1/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

(निशा सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ

उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)